




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 127]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 13, 2002/ज्येष्ठ 23, 1924

No. 127]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 13, 2002/JYAISTHA 23, 1924

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2002

सं. 301-6/2002-टी आर ए आई (इकॉन).— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी आर ए आई) (संशोधन), अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा स्वयं को प्रदत्त, इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि, भारत के भीतर और भारत के बाहर जिन टैरिफों पर दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाएंगी, उन्हें सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी आर ए आई), दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में संशोधन करके, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है ।

दूरसंचार टैरिफ (इक्कीसवां संशोधन) आदेश, 2002

(2002 का क्रमांक 5)

भाग-I

1. लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ
 - (i) इस आदेश को "दूरसंचार टैरिफ (इक्कीसवां संशोधन) आदेश, 2002" कहा जाएगा ।
 - (ii) यह आदेश, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।

भाग – II

- 2.1 दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 के भाग III (प्रविरिति या forbearance) के खंड 4 के अंतर्गत, उपर्युक्त खंड के प्रावधान को मिटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है:
- “ बशर्ते कि सेवा प्रदाता, प्रस्तावित टैरिफ के लागू होने की तारीख से सात दिन के भीतर, सूचनार्थ एवं रिकार्ड के लिए, प्राधिकरण को टैरिफ योजनाएं प्रस्तुत कर देगा। “
- 2.2 दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के भाग – III (“ दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ ”) के खंड 7 के उप-खंड (iv) के बाद, निम्नलिखित उपखंड डाले जाएंगे;
- (v) “टी आर ए आई (टैरिफ योजनाओं के लिए शुल्क और अन्य प्रभार लगाना) विनियम 2002” में यथाविनिर्दिष्ट, प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किसी भी दूरसंचार सेवा की विद्यमान टैरिफ योजना में, किसी परिवर्तन / संशोधन, अथवा किसी भी नई टैरिफ योजना की रिपोर्ट अथवा सूचना के समय, समस्त सेवा प्रदाता निर्धारित शुल्क या फीस देंगे। तथापि, प्राधिकरण ने जिन टैरिफ योजनाओं के संबंध में प्रविरिति, या तटस्थता (forbearance) अपनाई है उनके लिए कोई फीस या शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- (vi) टैरिफ योजनाओं के सभी अनुमोदन, यदि कार्यान्वित नहीं हुए हैं तो वे, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की तारीख से, अधिकतम छः महीने की अवधि तक वैध रहेंगे। इस छः महीने की समय-सीमा के भीतर यदि कोई योजना कार्यान्वित नहीं होती है तो वह व्यपगत या रद्द हो जाएगी और उसे अनुमोदनार्थ, नए सिरे से रिपोर्ट करने की जरूरत होगी।

(vii) किसी भी विद्यमान टैरिफ योजना को समाप्त करने से पहले, सेवा प्रदाताओं के लिए यह आवश्यक होगा कि वे, प्राधिकरण को और उपभोक्ताओं को, कम से कम 30 दिन पहले सूचित करें।

(viii) सेवा प्रदाता द्वारा, एक समय में, अधिकतम 25 योजनाएं प्रस्तावित रहेंगी। इस संख्या में, पूर्व प्रदत्त याने प्री-पेड, एवं पश्च प्रदत्त याने पोस्टपेड दोनों प्रकार की टैरिफ योजनाएं शामिल हैं।

(ix) सभी सेवा प्रदाताओं को चाहिए कि वे, इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर, प्राधिकरण तथा उपभोक्ताओं को समुचित एवं आवश्यक नोटिस देकर, अधिकतम 25 टैरिफ योजनाओं के प्रस्ताव की शर्त को पूरा कर लें जिनमें प्री-पेड एवं पोस्टपेड दोनों शामिल हों।

(x) समस्त सेवा प्रदाता, नई टैरिफ योजनाओं की प्रस्तुति के समय, निम्नलिखित सूचना प्रदान करेंगे,

* (सूचना या प्रस्तुति की तारीख) को उपभोक्ताओं के लिए प्रस्तावित टैरिफ योजनाओं की संख्या.

— पूर्व प्रदत्त	(जहां लागू हो)
— पश्च प्रदत्त	(जहां लागू हो)

भाग - III

दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 की अनुसूची V में, " आई एस डी एन सेवाओं " से संबंधित, टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत आए " अधिकतम के रूप में / "as ceiling" लिखे शब्द मिटा दिए जाएंगे। दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 की अनुसूची V में व्याख्यात्मक नोट या टिप्पणियों में निम्नलिखित शामिल किया जाएगा ;

व्याख्यात्मक ज्ञापन	
(क) मानक टैरिफ पैकेज	मानक पैकेज, अनुसूची में विनिर्दिष्ट टैरिफों पर, आई एस डी एन सेवाएं देता है
(ख) वैकल्पिक टैरिफ पैकेज	ऐसा टैरिफ पैकेज जो उपभोक्ताओं को मानक पैकेज में वर्णित या उल्लिखित के अतिरिक्त, एक विकल्प की तरह, प्रस्तुत किया जाता है।

भाग -- VI

इस आदेश के अनुलग्नक क में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन है जो दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में इस संशोधन के कारणों को स्पष्ट करता है।

अनुलग्नक-क

व्याख्यात्मक ज्ञापन

दूरसंचार टैरिफ आदेश (याने टी टी ओ) 1999 के भाग III के खंड 4 में, " प्रविरिति या तटस्थता (Forbearance)" से संबंधित संशोधन पर नोट अथवा टिप्पणियां "

1. प्राधिकरण के विचार से अब, टी टी ओ 1999 में प्रविरिति या तटस्थता वाले टैरिफों की ' रिपोर्ट करने संबंधी या रिपोर्टिंग की अनिवार्यता' उन सामान्य 'रिपोर्टिंग अनिवार्यता " से भिन्न होगी जो उन टैरिफों के बारे में होती हैं जिन के लिए प्रविरिति या तटस्थता नहीं अपनाई गई है। ये सब मूलतः मूल्यवर्धित सेवाएं होती हैं, और पर्याप्त प्रतिस्पर्धा होने के कारण बाजार की शक्तियां ही टैरिफ को विनियमित या नियंत्रित कर देती हैं। तथापि, प्राधिकरण ने निर्णय किया है कि टी टी ओ 1999 में जिन टैरिफों पर प्रविरिति अपनाई गई है उन सबके बारे में, टैरिफ योजना के शुरु होने की तारीख से सात दिन के भीतर, सूचना एवं रिकार्ड के निमित्त, प्राधिकरण को रिपोर्ट भेज दी जाए।

2. टी टी ओ 1999 के भाग III के खंड 7 में " रिपोर्टिंग अनिवार्यता " संबंधी अतिरिक्त उप-खंड रखने के बारे में नोट या टिप्पणियां

1. दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 (टी टी ओ 99) के भाग III के खंड 7 में रिपोर्ट अथवा सूचना देने संबंधी याने रिपोर्टिंग अनिवार्यता ' वाली व्यवस्था का उल्लेख है। सभी सेवा प्रदाताओं के लिए जरूरी है कि वे, सभी टैरिफ योजनाओं के बारे में, और विद्यमान टैरिफ योजनाओं में किसी भी परिवर्तन के बारे में, कार्यान्वयन से पहले, रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करें।
2. टैरिफ रिपोर्टिंग की वर्तमान रूपरेखा के अनुसार, सेवा प्रदाता कितनी ही संख्या में, प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ, योजनाएं भेज सकते हैं (चाहे उनको कार्यान्वित करने का इरादा हो या नहीं)। ऐसी भी कोई समय सीमा नहीं है जिसके भीतर, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित, टैरिफ योजना को सेवा प्रदाता द्वारा कार्यान्वित कर ही दिया जाना है।
3. प्राधिकरण के सामने ऐसे उदाहरण आए हैं जहां, विद्यमान टैरिफ रूपरेखा या फ्रेमवर्क में उपलब्ध लचीलेपन का प्रचालकों द्वारा दुरुपयोग किया गया है। प्राधिकरण के मतानुसार, अनेकानेक योजनाओं का अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयास से, जिनमें से कुछ तो कार्यान्वित ही नहीं होतीं, उपभोक्ताओं को भ्रंति होती है जिससे बचाव हो सकता है, और इससे प्राधिकरण के पास उपलब्ध सीमित मानव संसाधनों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। अतः ' टी टी ओ ' में इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि, विनियामक संसाधनों पर अनावश्यक दबाव एवं उपभोक्ताओं को भ्रंति, दोनों ही से बचा जा सके।
4. यह संशोधन उन समस्त दूरसंचार सेवाओं पर लागू होगा जिनपर ' टी टी ओ, 1999 ' की रिपोर्टिंग अनिवार्यताएं या अपेक्षाएं लागू होती हैं।

3. टी टी ओ, 99 की अनुसूची V में, " आई एस डी एन सेवाओं के लिए टैरिफ "
संबंधी संशोधन.

1. दूरसंचार टैरिफ आदेश (याने टी टी ओ) 1999 में अनुसूची V के अंतर्गत, आई एस डी एन सेवाओं के लिए अधिकतम टैरिफों याने सीलिंग (ceiling) की व्यवस्था है।
2. उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने और ' आई एस डी एन ' सेवाओं के उपयोग का विस्तार करने के प्रयोजन से, निगमित या कारपोरेट और अन्य अधिक राजस्व देने वाले उपभोक्ताओं को आकर्षक अतिरिक्त पैकेज, सेवा प्रदाता दे सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण महसूस करता है कि उन्हें अपने टैरिफों के लिए और अधिक लचीलापन उपलब्ध होना चाहिए और इसलिए 'आई एस डी एन ' सेवाओं के टैरिफों से अधिकतम याने सीलिंग को हटा दिया गया है।
3. 'आई एस डी एन' सेवाओं के लगातार बढ़ने और बाजार में इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को पूरा करने के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए, प्राधिकरण ने प्रचालकों को वैकल्पिक टैरिफ पैकेजों को प्रस्तुत करने के निमित्त और अधिक लचीलापन प्रदान करने का निर्णय भी किया है।

आदेशानुसार,

डा० रूपा आर. जोशी, आर्थिक सलाहकार

[सं. विज्ञापन/III/IV/असाधारण/142/02]

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2002

No. 301-6/2002-TRAI (Econ.).—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of the Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 as amended by TRAI (Amendment) Act, 2000, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby makes the following order by an amendment to the Telecommunication Tariff Order, 1999 by notification in the Official Gazette, in respect of tariff plans for providing Telecommunication services within India and outside India.

**THE TELECOMMUNICATION TARIFF (TWENTY FIRST AMENDMENT)
ORDER, 2002
(5 of 2002)**

Section I

1. Short title, extent and commencement:
 - (i) This Order shall be called " The Telecommunication Tariff (Twenty first Amendment) Order, 2002".
 - (ii) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Section II

- 2.1 Under Clause 4 of Section III (Forbearance) of the Telecommunication Tariff Order, 1999, the proviso to the said clause is deleted and substituted to read as under;

"Provided that the service provider shall file the tariff plans with the Authority for information and record within SEVEN days from the date of launch of said tariff".

- 2.2 After sub-clause (iv) of Clause 7 under Section III ("Tariffs for Telecommunication Services") of the Telecommunication Tariff Order, 1999, following sub-clauses shall be inserted;

- (v) All service providers shall pay a fee while reporting any new tariff plan or any changes / modifications in the existing tariff plan of any telecommunication service for approval of the Authority as specified in the "TRAI (Levy of fees and other charges for Tariff Plans) Regulation 2002". However, there shall be no levy of fee on tariff plans in respect of tariffs which have been forborne by the Authority.
- (vi) All approvals for tariff plans if not implemented shall remain valid for a maximum period of six months from the date of the approval by the Authority. If a plan is not implemented within the timeframe of six months as above it would lapse and would need to be reported afresh for approval.
- (vii) All service providers shall give an advance notice of not less than 30 days to the Authority and subscribers before terminating an existing tariff plan.
- (viii) At any given point of time not more than 25 plans shall be on offer by a service provider. This includes both post paid and pre paid tariff plans.

- (ix) All service providers shall comply with the condition of having not more than 25 tariff plans on offer including post-paid and pre-paid within 90 days from the date of publication of this order in the official Gazette with proper and due notice to the Authority and subscribers.
- (x) All service providers shall at the time of reporting fresh tariff plans provide the following information;
- * Number of tariff plans on offer to subscribers as on (the date of reporting).
- Pre-paid _____ (wherever applicable)
 - Post Paid _____ (wherever applicable)

Section III

The words "as ceiling" appearing under caption Tariff in Schedule V of the Telecommunication Tariff Order, 1999 pertaining to "ISDN Services" shall stand deleted. The following shall be inserted as explanatory notes in Schedule V of the TTO, 99;

Explanatory Notes;	
a) Standard Tariff Package	The Standard Package provides ISDN services at the tariffs specified in the schedule.
b) Alternative Tariff Package	Tariff package offered to subscribers in addition to that offered in the Standard Package, as an alternative.

Section IV

This Order contains at Annexure A an Explanatory Memorandum which explains the reasons for this amendment to the Telecommunication Tariff Order, 1999.

Annex – A

EXPLANATORY MEMORANDUM**1. Notes on Amendment in Clause 4 of Section III of TTO,99 pertaining to "Forbearance"**

1. The Authority is of the view that henceforth "reporting requirement" in respect of tariffs which have been forborne in the Telecommunication Tariff Order, 1999 (TTO,99) will be different from the usual "reporting requirements" prescribed in respect of tariffs which have not been forborne. These are basically value added services in respect of which due to adequate competition, the market forces will regulate the tariff. However, the Authority has decided that all tariffs which have been forborne under TTO, 99 should be reported to the Authority for information and record within SEVEN days from the date of introduction of the tariff plan.

2. Notes on insertion of additional sub-clauses in Clause 7 of Section III of TTO, 99 pertaining to "Reporting Requirement"

1. The Telecommunication Tariff Order, 1999 (TTO,99) under Clause 7 of Section III stipulates the provisions in respect of Reporting Requirement. All service providers shall comply with the Reporting Requirement in respect of all the Tariff Plans and any changes in the existing Tariff Plans before implementation.
2. In the present framework of tariff reporting, service providers are at liberty to file any number of plans (whether intended to be implemented or not) for approval of the Authority. There is also no time limit within which a service provider has to implement a tariff plan approved by TRAI.
3. The Authority has come across instances where operators have misused the flexibility provided in the existing tariff framework. The Authority is of the view that the practice of seeking approvals to a large number of plans some of which are not even implemented, causes avoidable confusion in the minds of subscribers, besides putting needless pressure on the limited human resources of the Authority. Thus the purpose of this amendment to TTO is to avoid undue pressure on regulatory resources and confusion to the subscribers.
4. This Amendment shall be applicable to all telecommunication services which fall under the purview of reporting requirements of TTO, 1999.

3 Amendment in Schedule V of TTO, 99 pertaining to "Tariffs for ISDN Services"

1. The Telecommunication Tariff Order, 1999 (TTO,99) under Schedule V stipulates the ceiling tariffs for ISDN Services.
2. To enable the service providers to offer attractive additional packages to corporate or other high revenue paying subscribers so as to enhance customer base and expand the use of ISDN services, the Authority considers it desirable to allow more flexibility in their tariff and has, therefore, decided to lift ceiling from the tariff for ISDN services.
3. With ISDN services expanding and catering to competitive segments of the market, the Authority has also decided to allow operators greater flexibility to offer alternative tariff packages.

By Order,

Dr. ROOPA R. JOSHI, Advisor (Economic)

[No. ADVT/III/IV/Exty/142/02]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2002

सं. 301-6/2002-टी आर ए आई (इकॉन).— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी आर ए आई) (संशोधन), अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1) की उपधारा (सी) के साथ पठित, धारा 36 की उप-धारा 2 के खंड (एफ) द्वारा निर्धारित सेवाओं के संबंध में निर्धारित दरों पर, शुल्क और अन्य प्रभार लगा सकने की, स्वयं को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी आर ए आई) एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

टी आर ए आई (टैरिफ योजनाओं के लिए शुल्क और अन्य प्रभार लगाना)

विनियम, 2002

(2002 का क्रमांक 1)

भाग – I

शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

1. लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

- (i) इस विनियम को, "टी आर ए आई (टैरिफ योजनाओं के लिए शुल्क और अन्य प्रभार लगाना) विनियम 2002" कहा जाएगा ;

- (ii) इस विनियम में, सेवा प्रदाताओं द्वारा, प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ, प्राधिकरण को प्रस्तुत टैरिफ योजनाओं के लिए शुल्क और अन्य प्रभारों के परिमाण शामिल होंगे।
- (iii) यह विनियम, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख के 30 दिन बाद से लागू होगा।

भाग – II

2. परिभाषाएं

- (i) “टैरिफ योजना” से तात्पर्य, प्राधिकरण को प्रस्तुत टैरिफ संबंधी प्रस्ताव है।
- (ii) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 के भाग II में उपलब्ध परिभाषाएं ही, इस विनियम पर लागू होंगी।

भाग – III

3. शुल्क और अन्य प्रभार

- (i) प्राधिकरण, निम्नलिखित दरों पर, शुल्क या फीस के रूप में, प्रभार लगाएगा:
 - (क) प्राधिकरण को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत प्रत्येक टैरिफ योजना के लिए = 2000/- रुपये (केवल दो हजार रुपये)
 - (ख) पहले से अनुमोदित, या अनुमोदनार्थ प्रस्तुत टैरिफ योजना में प्रस्तावित किसी भी परिवर्तन / संशोधन के लिए = 2000/- रुपये (केवल दो हजार रुपये)
- (ii) जिन टैरिफों पर प्राधिकरण ने प्रविरिति या तटस्थता अपनाई है उनके बारे में कोई टैरिफ योजना प्रस्तुत करने पर कोई फीस नहीं लगाई जाएगी।

- (iii) यह शुल्क डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर के जरिए, "टी आर ए आई लेखा टैरिफ शुल्क" अथवा "TRAI a/c Tariff Fee" के पक्ष में, नई दिल्ली में देय होगा और यह प्रत्येक टैरिफ योजना के अनुमोदनार्थ अथवा पहले से अनुमोदित / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत टैरिफ योजना में संशोधन/ परिवर्तन वाले प्रत्येक अनुरोध के साथ ही भेजा जाएगा ।

भाग – IV

4. समीक्षा

- (i) इस विनियम के अंतर्गत देय, टैरिफ योजनाओं की प्रस्तुति के लिए शुल्क और अन्य प्रभारों के ढांचे की, प्राधिकरण द्वारा समय समय पर समीक्षा एवं संशोधन किया जा सकता है ।
- (ii) इसके साथ ही, किसी प्रभावित पक्ष से संदर्भ प्राप्त होने पर और समुचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर, इस विनियम के अंतर्गत देय, टैरिफ योजनाओं की प्रस्तुति के लिए शुल्क और अन्य प्रभारों के ढांचे की, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय समीक्षा एवं संशोधन किया जा सकता है ।

भाग – V

5. व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस विनियम में, अनुलग्नक 'क' पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है जो, इस विनियम को जारी करने की पृष्ठभूमि और कारणों को स्पष्ट करता है ।

भाग – VI

6. निर्वचन

इस विनियम के किसी प्रावधान की व्याख्या या निर्वचन के बारे में विवाद होने पर, प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

अनुलग्नक—क

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अथवा 'टी आर ए आई' (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) की उपधारा (सी) के द्वारा, प्राधिकरण को यह शक्ति है कि वह, विनियमों द्वारा यथानिर्धारित सेवाओं के बारे में, यथानिर्धारित दरों पर, शुल्क और अन्य प्रभार लगा सके।
2. टी आर ए आई अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के दृष्टिगत, प्राधिकरण ने विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफों की प्रस्तुति पर शुल्क या फीस लगाने का निर्णय किया है। इसीलिए यह विनियम बनाया गया है।
3. यह विनियम इस कारण आवश्यक हो गया है कि सेवा प्रदाता अनेकानेक टैरिफ योजनाएं (अनुमोदनार्थ) प्रस्तुत कर देते हैं जिनमें कई तो कार्यान्वित ही नहीं होती। यह उल्लेखनीय है कि 31 दिसंबर 2001 को, बुनियादी या बेसिक सेवाओं के क्षेत्र में 244 अनुमोदित योजनाएं, और सेलूलर मोबाइल सेवा प्रचालनों के क्षेत्र में 741 अनुमोदित योजनाएं विद्यमान थीं। कैलेंडर वर्ष 2001 के दौरान कुल 2904 प्रस्ताव, टी आर ए आई को अनुमोदनार्थ भेजे गए। इतनी बड़ी संख्या में योजनाओं की ब्यौरेवार जांच पड़ताल, और प्राधिकरण द्वारा उनके अनुमोदन से जुड़ी प्रक्रिया, से उपलब्ध अल्प विनियामक संसाधनों पर काफी दबाव पड़ता है। अनेकानेक योजनाओं के होने से उपभोक्ता को भ्रान्ति भी होती है और तब उसको सूचनामय चुनाव करने में बहुत मुश्किल आती है।
4. उपलब्ध टैरिफ योजनाओं में से, अपने सर्वोत्तम हित को देखते हुए, उपभोक्ता सूचनामय, याने जानकारी युक्त चुनाव कर सके इसके लिए यह जरूरी हो

गया है कि प्रस्तावित टैरिफ योजनाओं की बहुलता और उनमें विविधताओं एवं भिन्नताओं को सीमित कर दिया जाए। इस प्रयोजन के लिए, उपलब्ध सीमित विनियामक संसाधनों को देखते हुए प्राधिकरण ने किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने के निमित्त, संभावित टैरिफ योजनाओं की संख्या का अधिकतम (ceiling) निश्चित कर देने का, और इन योजनाओं पर कार्रवाई एवं अनुमोदन के लिए शुल्क भी लगा देने का निर्णय किया है।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह संशोधन, किसी सेवा क्षेत्र में प्रत्येक सेवा प्रदाता पर, प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत सभी टैरिफों के संदर्भ में लागू होगा।
6. प्राधिकरण ने यह भी निर्णय किया है कि दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 के अंतर्गत, प्राधिकरण द्वारा जिन टैरिफों के संबंध में प्रविरिति या तटस्थता अपनाई गई है उन पर कोई फीस या शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

आदेशानुसार,

डा० रूपा आर. जोशी, आर्थिक सलाहकार

[सं. विज्ञापन/III/IV/असाधारण/142/02]

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2002

No. 301-6/2002-TRAI (Econ.).—In exercise of the powers conferred upon it under clause (f) of sub-section (2) of Section 36 read with sub-section (c) of Section 11(1) of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 as amended by TRAI (Amendment) Act, 2000, to levy fees and other charges at such rates in respect of such services as may be determined, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulation.

**THE TRAI (LEVY OF FEES AND OTHER CHARGES FOR TARIFF PLANS)
REGULATION, 2002
(1 of 2002)**

Section I

Title, Extent and Commencement

1. Short title, extent and commencement:

- (i) This Regulation shall be called "The TRAI (Levy of fees and other charges for Tariff Plans) Regulation 2002."
- (ii) The Regulation shall cover the quantum of fees and other charges for filing of tariff plans for approval of the Authority by the service providers.
- (iii) The Regulation shall come into force after 30 days from the date of its publication in the official Gazette.

Section II

Definitions

2. (i) "Tariff Plan" means proposals in respect of tariff filed with the Authority.
- (ii) Unless the context otherwise requires, all the definitions as provided under Section II of the Telecommunication Tariff Order, 1999 will be applicable to this Regulation.

Section III

3. **Fee and other charges**

- (i) The Authority shall levy charges as fee at the following rates:

- (a) for each tariff plan filed with the Authority for approval = Rs.2000/-
(Rupees Two Thousands only)
- (b) for any change / modifications to be made in the tariff
already approved or submitted for approval. ■ Rs.2000/-
(Rupees Two Thousands only)
- (ii) No fee shall be levied if the tariff plans filed are in respect of tariffs
which have been forborne by the Authority.
- (iii) The fee shall be paid by way of a Demand draft / pay order in favour of
“ TRAI a/c Tariff Fee” payable at New Delhi along with the request for
approval for each tariff plan / request for modifications / corrections to
a tariff plan already approved / submitted for approval.

Section IV

4. Review

- (i) The Authority may, from time to time, review and modify the structure of
fees and other charges for filing of tariff plans payable under this
Regulation.
- (ii) The Authority may also at any time, on reference from any affected party,
and for good and sufficient reasons, review and modify the structure of fee
and other charges for filing of tariff plans, payable under this Regulation.

Section V

5. Explanatory Memorandum

This Regulation contains at Annexure A, an Explanatory Memorandum to
explaining the background and reasons for issuing this Regulation.

Section VI

6. Interpretation

In case of any dispute regarding interpretation of any of the provisions of
this Regulation, the decision of the Authority shall be final and binding.

Annexure - A

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. Sub-section (c) of Section 11 (1) of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 as amended by TRAI (Amendment) Act, 2000, empowers the Authority to levy fees and other charges at such rates and in respect of such services as may be determined by regulations.
2. In view of the powers conferred under the TRAI Act, the Authority decided to levy fees for filing of tariffs by various service providers and hence this regulation.
3. This regulation has been necessitated on account of the fact that service providers file numerous tariff plans, a good number of which are ultimately not implemented. It is noteworthy that there were 244 approved plans in basic services and 741 approved plans in cellular mobile services as on 31st December 2001. During the calendar year 2001 in all 2904 plans were submitted for approval by the TRAI. Scrutiny of such a large number of plans and the process associated with their approval by the Authority puts pressure on the scarce regulatory resources available. Moreover, too many plans confuse the subscriber and render informed choice making very difficult.
4. In order that the consumer can make an informed choice amongst the available tariff plans and thus acts in his best interest, it is necessary that unduly large numbers and wide variety of tariff plans on offer be contained. Considering the use of limited regulatory resources for the purpose, the Authority has also decided to levy a fee for processing and approving these plans.

5. It is clarified that this amendment will apply to a service provider in a service area in respect of all tariffs submitted for approval by the Authority.
6. The Authority has also decided that no fee shall be levied for the tariffs which have been forborne by the Authority under the TTO,99.

By Order,

Dr. ROOPA R. JOSHI, Advisor (Economic)

[No. ADVT/III/IV/Exty/142/02]